उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-620/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)2022

लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30-06-2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" रख दी जायेगी;

(ग) मद (xii) में कोष्ठक और अंक ,"(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(vii), (viii)," रख दिये जायेंगे;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, शब्द "एक हजार रुपए से अधिक लेकिन" निकाल दिये जायेंगे;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) कॉलम (4) तथा (5) में मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	परन्तु यह कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ख) कॉलम (4) तथा (5) में मद (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
" (vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) तथा (viक) से भिन्न यात्री और परिवहन सेवायें	9	;"-

(IV) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) कॉलम (4) और (5) में मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"iii जीटिए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
(क) जीटिए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	परन्तु यह कि ऐसी सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखे स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	2.5 या 6	**1.** ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी पूर्तियों पर जीटीए सेवा की पूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखे स्पष्टीकरण संख्या (iv)] 2.किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई

		सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग,उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगा: परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। परन्तु यह और कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर केंद्रीय कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है किन्तु ऐसे मामले में पूर्तिकर्ता अपनी पूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";

(ख) कॉलम (4) और (5) में मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन	2.5	परन्तु यह कि ऐसी सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखे स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ग) कॉलम (4) और (5) में मद (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:--

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल तथा परिवहन सेवायें	9	;"-

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) कॉलम (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तिकर्ता	6	;"-

से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।		

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक "(ia)" को रख दिया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के स्थान पर और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं *स्पष्टीकरण:* इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है ।	9	"-;

(VII) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) कॉलम (4) और (5) में मद (i) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)" को निकाल दिया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और ज को निकाल दिया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31"A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदानकी जाने वाली सेवाएं,जिसका शुल्करु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो,ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो ।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओ पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखे स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) कॉलम (4) और (5) में मद (i) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा, जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं	6	-";

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक "(i)", के पश्चात, कोष्ठक और अंक "(ia)" को बढ़ा दिया जाएगा।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्यों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है,-

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनिम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप धारा (1) में परिभाषित, 'पुस्तक' किन्तु इस के अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ ,पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में, 'समाचार पत्र' यथापरिभाषित;

(xxxviii) "नैदानिक प्रतिस्थापन" से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;"

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यताया गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलखित अनुबंध बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

अनुबंध :V किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

"**<u>अनुबंध V</u>**

<u>फार्म</u>

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या .-

दिनांक: -

1. मैंने/हमने______________ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स .... का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी रजिस्ट्रीकरण करा लिया है/ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्द्वारा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष .... के दौरान अपने द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के समस्त उपवंधों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;

2. मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति

नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा ।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

टिप्पणी: किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।".

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

18/7/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुखसचिव